हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	**प्रो0 विनय कुमार पाठक** कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**श्री अबरार अहमद** विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।	सदस्य
3.	**प्रो0 ओंकार दीक्षित** अधिष्ठाता, आधारभूत संरचना एवं योजना एवं आचार्य, सिविल इंजी0 विभाग, आई0आई0टी0 कानपुर। (निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	**प्रो0 योगेश सिंह,** कुलपति दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0) दिल्ली – 110042 (अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	**प्रो0 एन0बी0 सिंह,** सिविल इंजी विभाग, आई0ई0टी0 लखनऊ (कुलपति ए0के0टी0यू0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	**प्रो0 अनिल कुमार सचान,** सिविल इंजी0 विभाग, एम0एन0आई0टी0 इलाहाबाद (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद्)	सदस्य
7.	**श्री केशव प्रसाद,** उपसचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ (प्रमुख सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	**श्री अनिल बाजपेयी** विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
9.	**श्री राजेश सिंह,** वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	विशेष आमंत्री
10.	**प्रो0 करूणाकर सिंह,** कुलसचिव एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य–सचिव

Scanned by CamScanner

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके :

1. **प्रो0 पी0 नागाभूषण,** सदस्य
निदेशक
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,
इलाहाबाद–211011

2. **श्री प्रशांत के0 सिंह,** सदस्य
(सी0ई0ओ0)
ग्लोबल जोन सेनेट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर,
इन्दिरा नगर, लखनऊ
(शासन स्तर से नामित उद्योगपति)

3. **श्री जकरिया मोहम्मद,** सदस्य
मैनेजिंग पार्टनर,
के0एस0एम0बी0, 24 न्यू बैरी रोड, लखनऊ
(शासन स्तर से नामित उद्योगपति)

4. **प्रो0 खालिद मोईन,** सदस्य
सिविल इंजी0 विभाग,
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली
(शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का परिचयोपरान्त स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष, कार्य परिषद् महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक की कार्यवाही से पूर्व सदस्य–सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर की प्रशासकीय परिषद् की 77वीं एवं प्रशासनिक समिति की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त अनुपूरक कार्यसूची में मद सं0 1.41.01 प्रस्तुत किया जा रहे है।

1.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के गठन सम्बन्धी शासन द्वारा जारी अधिसूचना (एक्ट) को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के गठन सम्बन्धी शासन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 को संज्ञान में लिया।

1.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रथम कुलपति एवं द्वितीय कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रथम कुलपति की नियुक्ति तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में दायर यचिका सं0 24494 आफ 2016 के क्रम में शासन द्वारा निर्गत पदच्युत किये जाने सम्बन्धी आदेश सं0 2021/सोलह–1–2017–8(3)/2016 दिनांक 23 मई 2017 एवं तद्क्रम में द्वितीय कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति तथा कार्यभार ग्रहण को संज्ञान में लिया।

Scanned by CamScanner

1.03 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद (एक्जीक्यूटिव काउंसलिंग) के गठन के सम्बन्ध में सूचना।

परिषद् ने उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 में दी गई व्यवस्थानुसार कार्य परिषद (एक्जीक्यूटिव काउन्सिल) के गठन को संज्ञान में लिया।

1.04 विश्वविद्यालय हेतु शासन स्तर से कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के नये पदों का सृजन एवं सम्बन्धित पदों में प्रथम नियुक्ति को संज्ञान में लेने के साथ–साथ वर्तमान मे कुलसचिव का पद रिक्त होने पर कुलसचिव के कार्य एवं दायित्वों के निवर्हन हेतु की गयी व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान करना।

परिषद् ने विश्वविद्यालय हेतु शासन स्तर से कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के नये पदों के सृजन एवं सम्बन्धित पदों में प्रथम नियुक्ति को संज्ञान में लेने के साथ–साथ वर्तमान में कुलसचिव का पद रिक्त होने पर कुलपति द्वारा कुलसचिव पद का कार्य दायित्व प्रो0 करूणाकर सिंह, विभागाध्यक्ष, फूड टेक0 को सौपे जाने पर अपना कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

1.05 विश्वविद्यालय का लोगो (Logo), लेटर हेड, सामान्य मोहर (Common Seal), फ्लैग एवं कुलगीत पर अनुमोदन।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रस्तावित लोगो एवं लेटर हेड को इस निदेश के साथ अनुमोदित किया कि लोगो में लिखे सूक्ति वाक्य पर किसी अन्य संस्कृत विद्वान से भी पुनः परामर्श कर लिया जाय। साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर (Common Seal), फ्लैग तैयार करने के लिये किसी ख्याति प्राप्त संस्था से एवं कुलगीत बनाने हेतु भातखण्डे संगीत संस्थान (सम विष्वविद्यालय), लखनऊ से सम्पर्क कर तैयार कराने हेतु प्रो0 करूणाकर सिंह, विभागाध्यक्ष, फूड टेक0 को अधिकृत किया। साथ ही उक्त को लागू किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

1.06 विश्वविद्यालय की प्रथम विनियमावली (Statutes) विश्वविद्यालय स्तर से तैयार कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही को संज्ञान में लिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम (Statutes) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुये निर्देश दिये कि शासन द्वारा जो प्रथम परिनियम (Statutes) संशोधित करने के आशय से विश्वविद्यालय को प्रेषित की गई है, उसे समिति के माध्यम से संशोधित करवा कर शासन को प्राथमिकता पर प्रेषित की जाय।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियम (Statutes) संशोधित करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन कियाः

1.	प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला	संयोजक
2.	कुलसचिव	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित एक आचार्य	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामित एक विधि विशेषज्ञ	सदस्य

Scanned by CamScanner

उक्त के साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश (Ordinance) तैयार करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया:

1.	अधिष्ठाता, शैक्षिक किया कलाप	संयोजक
2.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
3.	अधिष्ठाता, शोध एवं विकास	सदस्य
4.	अधिष्ठाता, स्कूल आफ इंजीनियरिंग	सदस्य
5.	अपर परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	कुलसचिव	सदस्य

1.07 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 02.11.2016 को सम्पन्न प्रथम बैठक एवं दिनांक 19.04.2017 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्तों पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 02.11.2016 को सम्पन्न प्रथम बैठक एवं दिनांक 19.04.2017 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्तों पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.08 विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिष्ठाताओं की तैनाती पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार विभिन्न विद्यालयों एवं प्रभागों में अधिष्ठाताओं के नामांकन पर अनुमोदन प्रदान किया और सुचारू संचालन हेतु अधिष्ठाताओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया। तद्सम्बन्धी सूचना/विवरण से कार्य परिषद् को समय–समय पर अवगत कराया जायगा।

1.09 विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद में 05 सदस्यों को नामित करने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही पर कार्येत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद में 05 सदस्यों को नामित करने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.10 विश्वविद्यालय में माननीय न्यायालयों के आदेशों के क्रम में छात्रों की रैंगिग आदि की रोकथाम हेतु चीफ प्राक्टर की तैनाती एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड गठित किये जाने के प्रकरण पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्तावानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में रैंगिग आदि की रोकथाम हेतु चीफ प्राक्टर की तैनाती एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.11 विश्वविद्यालय में तैनात अधिष्ठाताओं को सौंपे गये कार्य एवं दायित्व, शिक्षण, शोध, स्रोतजनन, योजना, छात्र कल्याण आदि में सहयोग हेतु तैनात किये गये सह–अधिष्ठाताओं पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा अधिष्ठाताओं को विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के अधीन सौंपे गये कार्य एवं दायित्व, शिक्षण, शोध, स्रोत जनन, योजना, छात्र कल्याण आदि में सहयोग हेतु नामित किये गये सह–अधिष्ठाताओं की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

1.12 विश्वविद्यालय में विभिन्न विधाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में की गयी चार समन्वयकों की तैनाती पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों (बी0टेक0, एम0टेक0, एम0सी0ए0 एवं पी0एच0डी0) में प्रवेश के सम्बन्ध में की गयी चार समन्वयकों के नामांकन की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.13 विश्वविद्यालय में निर्गत अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में गठित की गयी बोर्ड आफ एग्जामीनेशन (परीक्षा समिति) के गठन पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ इक्जामीनेशन (परीक्षा बोर्ड) में विभिन्न प्राधिकारियों के नामांकन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

1.14 विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रो0 एम0जेड0 खान की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 27.04.2017 के द्वारा समाप्त करने के पश्चात उनके द्वारा उक्त तिथि के पश्चात विश्वविद्यालय में लिये गये निर्णयों पर विधिक राय लेने के पश्चात स्थगित रखे जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में दायर वाद सं0 24494 आफ 2016 में दिये गये निर्णय दिनांक 27/04/2017 एवं तद्क्रम में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार प्रो0 एम0जेड0 खान द्वारा दिनांक 27.04.2017 के पश्चात् विश्वविद्यालय के समस्त कार्यो से सम्बन्धित लिये गये निर्णयों को स्थगित रखने का निर्णय लिया। परिषद् ने विश्वविद्यालय से विधिक राय के आलोक में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की।

1.15 विश्वविद्यालय में नये छात्रों के प्रवेश हेतु गठित की गयी प्रवेश समिति एवं उक्त प्रवेश समिति में तकनीकी शिक्षा के दो अनुभवी बाह्य शिक्षकों को सदस्य के रूप में रखे जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में नये छात्रों के प्रवेश हेतु गठित की गयी प्रवेश समिति एवं उक्त प्रवेश समिति में तकनीकी शिक्षा के दो अनुभवी बाह्य शिक्षकों का सदस्य के रूप में नामांकन किये जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.16 विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती संस्थान समय से चल रहे एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ एवं शिक्षक संघ को विश्वविद्यालय में यथावत बनाये रखे जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के गठन के कम से कम तीन वर्ष पूरे होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाना विश्वविद्यालय हित में होगा।

1.17 विश्वविद्यालय में तैनात अधिष्ठाताओं, सहअधिष्ठाताओं, चीफ प्रॉक्टर, चीफ वार्डन, वार्डन, ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज एवं प्रभारियों को निशुल्क आवास, मोबाइल तथा लैपटाप की सुविधा अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में नामित अधिष्ठाताओं, सहअधिष्ठाताओं, चीफ प्रॉक्टर, चीफ वार्डन, वार्डन, ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज एवं प्रभारियों को निःशुल्क आवास, मोबाइल रिचार्ज तथा लैपटाप आदि की सुविधा पूर्व की भॉति रखी जाय और इस सम्बन्ध में आई0आई0टी0 कानपुर में लागू व्यवस्था के समकक्ष व्यवस्था लागू किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

1.18 विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) को दी गयी 1870 वर्ग मीटर भूमि का 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने पर पुनः 30 वर्ष हेतु उक्त भूमि को लीज पर दिये जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्ताव पर निर्णय दिया कि प्रकरण में किसी भी कार्यवाही को अभी स्थगित रखा जाय। चूँकि, प्रकरण भूमि से सम्बन्धित है, अतः विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) को 30 वर्षो के लिये प्रयोग हेतु दी गयी 1870 वर्ग मीटर भूमि के लाइसेन्स एग्रीमेन्ट पर मा0 उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की विधिक राय, सम्बन्धित संस्था द्वारा विगत में किये गये कार्यों के गुण दोषों के परीक्षण एवं उक्त संस्था से विश्वविद्यालय को होने वाले लाभ–हानि का परीक्षण कर आख्या के साथ प्रकरण परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

1.19 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्षों एवं शिक्षक जो कि वर्षो पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किन्तु नो ड्यूज न होने के कारण उनका अन्तिम माह का वेतन एवं 10 प्रतिशत जी0पी0एफ0 एवं कतिपय शिक्षकों की रोकी गयी ग्रेच्यूटी की धनराशि का भुगतान न होने के कारण ड्यूज सम्बन्धी स्थिति पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।

परिषद् ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के सेवानिवृत्तिक लाभों के वर्षों तक लम्बित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और सेवानिवृत्तिक लाभ के लम्बित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों से पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के ड्यूज 15 दिवस में प्राप्त किये जायें अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुये कि कोई ड्यूज नहीं है सम्बन्धित का भुगतान 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् ने ड्यूज सम्बन्धी समस्या के स्थाई समाधान हेतु निम्न निर्णय लियाः

1. सेन्ट्रल स्टोर का आटोमेशन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
2. विभाग में आने वाले समस्त सामान के पर्चेज, इण्डेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर में इन्ट्री, विभागीय इण्डेन्ट इत्यादि की प्रक्रिया हेतु स्टोर पालिसी बनायी जाय।
3. विभाग के आफिस का भौतिक चार्ज सम्बन्धित विभाग के लिपिक के पास रखा जाय एवं लेबोरेटरी का भौतिक चार्ज सम्बन्धित विभाग के तकनीकी स्टाफ के पास रखा जाय।

1.20 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशाप, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0 आदि विश्वविद्यालय सम्बन्धित कार्यो में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व से अनुमोदित ड्यूटी लीव/स्पेशल केजुअल लीव को 15 दिन के स्थान पर 25 दिन करने के संबंध में प्रस्ताव।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशाप, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों आदि के लिये वर्ष में 15 दिनों की स्पेशल केजुअल लीव स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की। शिक्षकों के मामले में स्पेशल केजुअल लीव सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा, विभागाध्यक्षों के मामले में स्पेशल केजुअल लीव सम्बन्धित स्कूल के अधिष्ठाता द्वारा एवं अधिष्ठाताओं के मामले में स्पेशल केजुअल लीव कुलपति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य हेतु भेजे जाने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को आन ड्यूटी माना जाय।

Scanned by CamScanner

1.21 शिक्षकों की अधिवर्षता आयु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भॉति 65 वर्ष करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने अनुभवी एवं दक्ष शिक्षकों की कमी की पूर्ति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की, किन्तु यह व्यवस्था लागू किये जाने के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय भी लिया।

1.22 उत्तर प्रदेश शासन एवं राज भवन स्तर से नियुक्त कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक को साज सज्जा से सुसज्जित आवास निशुल्क प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति को साज सज्जा से सुसज्जित आवास निःशुल्क प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

1.23 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान का लाभ समय से दिये जाने हेतु चयन समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आहूत किये जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान का लाभ समय से दिये जाने हेतु चयन समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आहूत किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

1.24 विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास परिषद में कार्य परिषद स्तर से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों के दो विशेषज्ञ एवं उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायों के निकायों के पॉच प्रतिनिधियों को नामित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् ने शोध एवं विकास परिषद में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों के दो विशेषज्ञ एवं उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायों के निकायों के पॉच प्रतिनिधियों को नामित किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

1.25 विश्वविद्यालय हेतु निर्गत अधिसूचना में उद्भवन हब (Incubation Hub) में कार्य परिषद् द्वारा नामित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शोध संस्थानों के दो विशेषज्ञ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पॉच प्रतिनिधियों का नामांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने उद्भवन हब (Incubation Hub) में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शोध संस्थानों के दो विशेषज्ञ एवं उद्योग, बैंक, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पॉच प्रतिनिधियों को नामित किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

1.26 विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, जन सम्पर्क अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के नये पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित किये गये पत्र पर अनुमोदन।

परिषद् ने यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वेतनमान में विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के 02 पूर्णकालिक पद, सहायक कुलसचिव के 03 पूर्णकालिक पद सृजित किये जाने की अनुशंसा की। जन सूचना अधिकारी के 01 पद को डेप्यूटेशन/सेवा स्थानान्तरण के अधार पर अधिकतम 03 वर्ष कार्य अवधि हेतु भरे जाने पर भी सहमति प्रदान की। प्रशासनिक अधिकारी के पद के सम्बन्ध में निर्णय दिया कि उक्त पद लिपिकीय संवर्ग की प्रोन्नति से भरा जाने वाला पद है। उक्त पदों के सृजन के सन्दर्भ में प्रथम परिनियम में आवश्यक संशोधन करने के साथ ही इस आशय का यथोचित संशोधित सम्पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

Scanned by CamScanner

1.27 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान को हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर के रूप में प्रवृत्त किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), नई दिल्ली में पंजीकृत करने सम्बन्धी कार्यवाही को संज्ञान में लिया और विश्वविद्यालय से अपेक्षा की कि यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त Fitness of Technological Universities for Grants Rules, 1978 प्रारूप में डाटा पूर्ण कर यू0जी0सी0, नई दिल्ली को तत्काल प्रेषित कर 2f एवं 12(B) में पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण की जाय।

1.28 विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी चयन समिति में विषय विशेषज्ञों की परिमार्जित सूची पर अनुमोदन।

परिषद् ने शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी चयन समितियों में विषय विशेषज्ञों की परिमार्जित सूची पर अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा उक्त विषय विशेषज्ञों की सूची मा0 कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिये। उक्त के अतिरिक्त नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही हेतु मा0 कुलाधिपति महोदय को प्रेषित पत्र को संज्ञान में लेते हुये परिषद् ने मा0 कुलाधिपति द्वारा दिये गये अनुदेश/आदेश के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

1.29 विश्वविद्यालय में वर्तमान में छात्रों की प्रवेश क्षमता के दृष्टिगत अभातशिप मानक एवं डिफिशियंसी रिर्पोट के अनुसार शिक्षकों के नये पदों का सृजन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने सम्यक विचारोपरान्त सैद्धान्तिक सहमति दी कि अभातशिप की डिफिशियन्सी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के 31 नये पद सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय।

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व से सृजित 131 पदों के सापेक्ष पद 64 रिक्त होने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई और निर्देश दिये गये कि उक्त 64 रिक्त पदों को भी भरे जाने की कार्यवाही शीर्ष प्रथमिकता पर सम्पन्न की जाय।

1.30 पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कार्यरत उप कुलसचिव पद (वर्तमान में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर) से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में कार्यरत श्री अनिल कुमार शुक्ला को कुलसचिव डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्र के कम में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में सेवा आमेलन के संबंध में।

परिषद् ने डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य परिषद के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार शुक्ला, उपकुलसचिव, पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर को डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विष्वविद्यालय, लखनऊ में उपकुलसचिव के पद पर समायोजित किये जाने पर अनापत्ति दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्णय से डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये।

Scanned by CamScanner

1.31 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोफेसनल सोसाइटी/बाडीज की सदस्यता प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को IICHE, IEEE, IE(I), AFST(I) आदि की सदस्यता ग्रहण करने हेतु रू0 5000/– की अधिकतम सीमा तक सदस्यता शुल्क की आर्थिक सहायता दिये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

1.32 विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं के पदों पर आवेदन प्रेषित किये जाने पर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रकरण पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं के पदों हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने पर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की धनराशि रू0 1000/– सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु तथा रू0 500/– अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

1.33 विश्वविद्यालय के कतिपय विभागों को पृथक–2 किये जाने के फलस्वरूप पृथक–पृथक विभागाध्यक्षों द्वारा विभाग का फिजिकल प्रभार विभागवार प्राप्त किये जाने के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् ने यथोचित व्यवस्था बनाये जाने एवं उसके अनुपालन हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

1.34 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि व्याख्याताओं को रखने हेतु नीति निर्धारण एवं उनका मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद् ने अतिथि व्याख्याताओं चयन हेतु गठित चयन समिति, चयन प्रकिया में मेरिट निर्धारण हेतु प्रस्तावित प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही अभातशिप द्वारा निर्धारित अर्हताधारी विभिन्न इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी तथा बेसिक सांइस विधाओं के परास्नातक को रू0 40,000/– एंव पी0एच0डी0 धारक को रू0 50,000/– प्रति माह नियत वेतन पर 11 माह की अवधि हेतु अनुबन्ध के अधार पर पूर्णतया अस्थाई रूप में आबद्ध करने पर सैद्धान्तिक सहमति दी तथापि सेवानिवृत्त शिक्षकों को उक्त व्यवस्था पर प्राथमिकता प्रदान करने की अधिकारिता कुलपति में निहित रहेगी। परिषद् द्वारा उक्त नियत वेतन बढाये जाने पर शासन का भी अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

1.35 विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्तावानुसार शिकायत निवारण समिति की व्यवस्था को लागू किये जाने के साथ ही महिलाओं हेतु विशाका गाइड लाइन्स (Vishaka Guidelines against Sexual Harassment in the Workplace) का पालन किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। उक्त समिति में संयोजक/सदस्यों का नामांकन किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

1.36 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के स्थान पर चारों स्कूलों के अधिष्ठाताओं के माध्यम से सेल्फ एपरेजल रिर्पोट (SAR) के प्रस्तावित प्रारूप पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देश दिये कि कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम हेतु निर्धारित ए0पी0आई0 प्रारूप में दी गई व्यवस्थानुसार सेल्फ एपरेजल रिपोर्ट (SAR) का प्रारूप

Scanned by CamScanner

निर्धारित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति दी जो कि चारों स्कूलों के अधिष्ठाताओं के माध्यम से आयेगी। इस हेतु दिल्ली टेक्निकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली के इस आशय के प्रारूप के अध्ययनोपरान्त इस पर अन्तिम निर्णय के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

1.37 विश्वविद्यालय में संशोधित टेस्टिंग एवं कन्सलटेन्सी नियमों एवं दरों को प्रभावी किये जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्तुत प्रस्ताव के कतिपय बिन्दुओं से असहमत होते हुये निर्देश दिये कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0) के टेस्टिंग एवं कन्सलटेन्सी रूल्स को प्राप्त कर आधार बनाते हुये, विश्वविद्यालय हित को सर्वोपरि रखते हुये, नये टेस्टिंग एवं कन्सलटेन्सी रूल्स बनाये जाय और उन्हें विश्वविद्यालय वित्त समिति के सहमति उपरान्त परिषद् के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय। इस हेतु समिति बनाने के लिये परिषद् द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

1.38 विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच में दायर वादों की पैरवी किये जाने की वस्तुस्थिति एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक और अधिवक्ता नामित किये जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के समस्त वादों की पैरवी हेतु श्री नीरज तिवारी एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में सभी वादों की पैरवी श्री सुभम त्रिपाठी से कराये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु आवश्यकतानुरूप परिवर्तन अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता को आबद्ध किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

1.39 विश्वविद्यालय में वित्तीय संविदायें सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण किये जाने पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में धारा 16(6) पर दी गई व्यवस्था के क्रम में वित्तीय संविदायें सम्पादित किये जाने सम्बन्धी अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

1.40 विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कालर की फैलोशिप के निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 06.06.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

परिषद् ने रिसर्च स्कालरर्स को यू0जी0सी0 नार्म्स के अनुसार फैलोशिप दिये जाने को अस्वीकृत किया। परिषद् ने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुये विश्वविद्यालय फेलोशिप निर्धारण हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

परिषद् ने उपाधि प्रदान करने वाले सभी इंजीनियरिंग/टेक्नालाजी की 13 विधाओं एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं मानविकी में प्रत्येक वर्ष 02 छात्र प्रति विधा को (कुल 17 विधाओं में 34 छात्रों) प्रवेश दिये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। उक्त हेतु नेट क्वालीफाइड या इसके समकक्ष किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा क्वालीफाइड या प्रोजेक्ट अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाय।

Scanned by CamScanner

1.41 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद पर विचार।

1.41.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, विश्वविद्यालय में प्रवृत्त होने से पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद् एवं प्रशासनिक समिति की अन्तिम बैठकों में लिये गये निर्णयों को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर की दिनांक 29/09/2015 को सम्पन्न 77वीं प्रशासकीय परिषद् एवं दिनांक 25/02/2015 को सम्पन्न 27वीं प्रशासनिक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

1.41.02 विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विभागों के स्तर से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों टेस्टिंग/कन्सलटेन्सी आदि की रिर्पोट को डिजिटल साइन से निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् ने प्रस्तावानुसार विभिन्न शैक्षिक विभागों के स्तर से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों, टेस्टिंग/कन्सल्टेन्सी आदि की रिर्पोर्टो को डिजिटल सिगनेचर से निर्गत किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

1.41.03 श्री सच्चिदानन्द प्रसाद पूर्व प्रवक्ता, प्लास्टिक टेक्नालॉजी विभाग सम्प्रति खण्ड विकास अधिकारी बदॉयूं को विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0) के पुनः प्लास्टिक टेक्नालाजी विभाग में, एच.बी.टी.आई. की प्रशासकीय परिषद स्तर से उनके प्रवक्ता पद को रिक्त माने गये निर्णय पर पुनः वापसी (ज्वाइनिंग) के प्रकरण पर विचार।

परिषद् ने पूर्ववर्ती एच.बी.टी.आई. कानपुर की प्रशासनिक समिति एवं तद्क्रम में प्रशासकीय परिषद् के निर्णय से विचलन का कोई औचित्य नहीं पाया और श्री सच्चिदानन्द प्रसाद की विश्वविद्यालय की सेवाओं में पुनः वापसी (ज्वाइनिंग) को अस्वीकृत किया एवं उक्त पद के सापेक्ष विज्ञापन/चयन प्रकिया कराकर नई नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये।

1.41.04 राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज बिजनौर में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात कुलसचिव श्री नरेश कुमार द्वारा मातृ संस्था (पूर्ववती एच.बी.टी.आई. कानपुर) से अपनी व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवापुस्तिका मूल में प्राप्त कर राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, बिजनौर में प्रस्तुत करने के विषयक संज्ञान लिये जाने के संबंध में।

परिषद् ने प्रकरण का संज्ञान लिया और निर्देश दिये कि निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाय कि उन्हें श्री नरेश कुमार पूर्ववर्ती कुलसचिव से सम्बन्धित निम्न पत्रावली/अभिलेख जो कि स्वयं श्री नरेश कुमार, एच0बी0टी0यू0 कानपुर से प्राप्ति रसीद दे कर ले गये, प्राप्त हुये हैं अथवा नहीं और उक्त अभिलेख निदेशक की अभिरक्षा में सुरक्षित है।

1. सेवा पुस्तिका पृष्ठ सं0 01 से 18 तक
2. व्यक्तिगत पत्रावली, टीप पृ0सं0 01 से 04 तक एवं पत्राचार पृ0सं0 01 से 158 तक
3. अस्थाई व्यक्तिगत पत्रावली टीप पृ0सं0 01 से 06 तक एवं पत्राचार पृ0सं0 01 से 91 तक।

Scanned by CamScanner

1.41.05 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 09/06/2017 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 09/06/2017 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त के मद सं0 3.21.05 को स्थगित किया एवं शेष कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

1.41.06 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक परिषद् की दिनांक 09/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक परिषद् की दिनांक 09/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन निम्नवत् आंशिक संशोधन के साथ प्रदान किया।

परिषद् द्वारा शैक्षिक परिषद् की दिनांक 09/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के मद सं0 1.13.05 के निर्णय में निम्नलिखित जोडा जाय:

''विधाओं की डिग्री में ''केमिकल टेक्नोलाजी–विधा का नाम'' अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त ही मुद्रित किया जायेगा''।

1.41.07 विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर) के परिवर्तित स्वरूप में परिसर में संचालित साइंस एण्ड टेक्नालॉजी इन्टरप्रोन्योरशिप पार्क (स्टेप) की वर्तमान स्थिति पर विचार।

परिषद् ने विस्तृत विचारोपरान्त निम्न निर्देश/निर्णय प्रदान किये:

1. विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्वरूप एच0बी0टी0आई0, कानपुर द्वारा जिन कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी सोसाइटी/समिति/संघ/क्लब आदि में कार्य करने की अनुमति दी गई है अथवा नामित/प्रभार/नियुक्ति हेतु आदेश/कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये गये है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ऐसे समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः गुण/दोष के आधार पर अनुमति कुलपति द्वारा प्रदान की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है। उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय में प्रसारित किया जाय। भविष्य में ऐसे किसी भी कार्य/नामांकन/नियुक्ति के पूर्व कुलपति एवं कार्य परिषद् का अनुमोदन आवश्यक होगा, परन्तु उक्त व्यवस्था से अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/संविदा आदि पर जाने से रोक नहीं होगी, जिसका कार्येत्तर अनुमोदन कार्य परिषद् से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. उक्त बिन्दु 1.41.07(1) में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद् द्वारा प्रो0 राकेश कुमार त्रिवदी के प्रकरण पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्वरूप एच0बी0टी0आई0, कानपुर के आयल टेक्नोलाजी विभाग में कार्यरत रहते हुये डा0 आर0के0 त्रिवेदी, आचार्य के रूप में एच0बी0टी0यू0 कानपुर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। डा0 आर0के0 त्रिवेदी, आचार्य, आयल टेक0 विभाग को पूर्ववर्ती एच0बी0टीआई0 कानपुर द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 57/डी0बी0/प्रभा0नियु0/09–10 दिनांक 23 अप्रैल 2010 से निदेशक स्टेप का दायित्व अग्रिम आदेशों तक सौपा गया

Scanned by CamScanner

था एवं स्टेप–एच0बी0टी0आई की 35वीं गवर्निंग बाडी के निर्णय के कम में चेयरमैन स्टेप–एच0बी0टी0आई0 कम निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर द्वारा पत्रांक 757/डी0बी0/एक्सट/स्टेप/11 दिनांक 19/10/2011 द्वारा प्रो0 त्रिवेदी की निदेशक, स्टेप–एच0बी0टी0आई0 के रूप में नियुक्ति की गई थी। पुनः स्टेप–एच0बी0टी0आई0 की 36वीं गवर्निंग बाडी के निर्णय में आइटम नं0 36.12 में पत्रांक 757/डी0बी0/एक्सट/स्टेप/11 दिनांक 19/10/2011 से प्रो0 त्रिवेदी की निदेशक, स्टेप एच0बी0टी0आई0 कानपुर के रूप में की गई नियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से 03 वर्ष तक के लिये कर दिया गया था। उक्त 03 वर्ष की नियुक्ति अवधि दिनांक 18/10/2014 को समाप्त हो चुकी है, परन्तु प्रो0 त्रिवेदी अभी भी उक्त पद पर कार्यरत हैं। उक्त बिन्दु 1.41.07(1) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रो0 राकेश कुमार त्रिवेदी को निदेशक स्टेप एच0बी0टी0आई के पद व प्रभार से मुक्त होते हुये तत्काल प्रभाव से वापस विश्वविद्यालय में बुलाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

3. परिषद् द्वारा उक्त बिन्दु 1.41.07(1) एवं 1.41.07(2) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर को निर्देशित किया गया कि वे प्रो0 राकेश कुमार त्रिवेदी को पत्र प्रेषित कर कार्य परिषद् निर्णय से अवगत कराते हुये वापस बुलाना सुनिश्चित करें। कार्य परिषद् ने कुलसचिव को यह भी निर्देशित किया कि उक्त बिन्दु 1.41.07(1) के अनुपालन हेतु अन्यत्र कार्यरत विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण में भी समान प्रकृति कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

4. डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, कानपुर को संस्था के वित्तीय दुरूपयोग एवं स्थापना उद्देश्यों के विपरीत हो रहे क्रिया कलापों के सन्दर्भ में पत्र प्रेषित कर सम्पूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये चेयरमैन, स्टेप–एच0बी0टी0आई0 सम्प्रति कुलपति एच0बी0टी0यू0 कानपुर द्वारा कार्यवाही की जाय।

5. स्टेप–एच0बी0टी0आई0 द्वारा अपने मेमोरेण्डम आफ एशोसिएशन में उल्लिखित उद्देश्यों के विपरीत विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्वरूप एच0बी0टी0आई0, कानपुर की अनुमति के बिना एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0एम0 आदि पाठ्यक्रम चलाये जाने के दृष्टिगत अभातशिप एवं डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु को पत्र लिखा जाय।

6. स्टेप–एच0बी0टी0आई0 की स्थापना से अभीतक के शैक्षिक, वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य क्रिया कलापों की जॉच हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

7. स्टेप–एच0बी0टी0आई0 मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन में मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था में पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर (वर्तमान में एच0बी0टी0यू0 कानपुर) के एक शिक्षक को नामित किये जाने का प्राविधान हैं। स्टेप–एच0बी0टी0आई0 की गवर्निंग बाडी में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी, एसोशिएट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजी0 को नामित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

में दिनांक 23.01.2003 से 23.01.2007 तक पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित थे और प्रवक्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पद पर वेतनमान 8000–13500 में कार्यरत थे। श्री भास्कर द्वारा दिनांक 24/01/2007 को पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर में एशोसिएट प्रोफेसर (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के पद पर ज्वाइन किया गया था और सेवायोजन तिथि से वह नई पेन्शन स्कीम से आच्छादित है। पूर्ववती एच0बी0टी0आई0 कानपुर के पत्रांक 1339/अदम/ई0सी0–III/2016 दिनांक 17/03/2016 के सन्दर्भ में शासन द्वारा अपने पत्रांक 418/सोलह–1– 2017–82/2010 दिनांक 17/02/2017 से श्री भास्कर को गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उत्तराखण्ड) की सेवा अवधि को सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु इस शर्त के साथ जोडे जाने की अनापत्ति प्रदान की गई है कि उनके पूर्ववती सेवायोजक द्वारा प्रोरेटा पेन्शन एच0बी0टी0आई0 कानपुर को हस्तान्तरित कर दी जाय। परिषद् ने इस सन्दर्भ में वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में निर्गत शासनदेश 6117/97–सोलह–1–प्रा.शि.–272/95 दिनांक 10 जुलाई, 1998 का संज्ञान लेते हुये मत स्थिर किया कि प्रकरण पर दिनांक 10 जुलाई, 1998 के शासनादेश के कम में शासन को पत्र प्रेषित कर अनुदेश प्राप्त कर लिये जाय।

1.41.12 डा0 कृष्णराज, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग विभाग को दिनांक 25.01.2015 के स्थान पर दिनांक 11/04/2011 से प्रोफेसर पद एवं वेतन बैण्ड रू0 37400–67000+ए0जी0पी0 रू0 10000 में वेतन निर्धारण किये जाने के प्रकरण पर विचार।

परिषद् ने पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर के पत्रांक 721/अदम/ई0सी0–III/16 दिनांक अगस्त 16, 2016 की संस्तुति के कम में निर्गत शासनादेश पत्रांक 3412/सोलह–1–2015–14(14)/13 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 का और इसी सन्दर्भ में वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में निर्गत शासनदेश 6117/97–सोलह–1–प्रा.शि.–272/95 दिनांक 10 जुलाई, 1998 का संज्ञान लेते हुये मत स्थिर किया कि प्रकरण को दिनांक 10 जुलाई, 1998 के शासनादेश से संज्ञानित कराते हुये शासन को पत्र प्रेषित कर अनुदेश प्राप्त कर लिये जाय।

1.41.13 पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर (वर्तमान में विश्वविद्यालय) के कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत संचालित सेस्टेनेविलिटी सपोर्ट स्कीम (एस0एस0एस0) इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में कम्प्यूटर आपरेटर/टेक्नीषियन के पद कार्यरत रहे श्री सौरभ पाण्डेय को जारी अनुभव प्रमाण के प्रकरण पर विचार।

प्रकरण कार्य परिषद् के अध्यक्ष से सम्बन्धित था, अतः अध्यक्ष/कुलपति बैठक से बाहर चले गये। उपस्थित अन्य सदस्यों की सहमति से प्रकरण की अध्यक्षता, प्रो0 योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली द्वारा की गई। उक्त प्रकरण का कार्यवृत्त पृथक से तैयार किया गया।

(प्रो0 करूणाकर सिंह)
सदस्य–सचिव

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के मद सं0 1.41.13 का कार्यवृत्त

1.41.13 पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर (वर्तमान में विश्वविद्यालय) के कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत संचालित सेस्टेनेविलिटी सपोर्ट स्कीम (एस0एस0एस0) इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में कम्प्यूटर आपरेटर/टेक्नीशियन के पद कार्यरत रहे श्री सौरभ पाण्डेय को जारी अनुभव प्रमाण के प्रकरण पर विचार।

प्रकरण कार्य परिषद् के अध्यक्ष से सम्बन्धित था अतः अध्यक्ष/कुलपति बैठक से बाहर चले गये। उपस्थित अन्य सदस्यों की सहमति से प्रकरण की अध्यक्षता, प्रो0 योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली द्वारा की गई।

परिषद् ने प्रस्ताव में संलग्न श्री सौरभ पाण्डेय के अभिलेखों व सम्बन्धित पत्रावलियों का अध्ययन किया और निम्नलिखित पायाः

1. श्री सौरभ पाण्डेय विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्वरूप एच0बी0टी0आई0 कानपुर में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत संचालित सेस्टेनेविलिटी सपोर्ट स्कीम (एस0एस0एस0) इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में कुलसचिव द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्रांक 1183/अदम/ई0सी0–।।/एसएसएस –प्रो0–इम्पै0/06 दिनांक 22/12/06 के आधार पर रू0 5000/– प्रति माह पर कार्यरत थे। उक्त नियुक्ति पत्र में टंकित है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति मानी जायगी। अतः कार्य की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुये श्री सौरभ पाण्डेय से दिनांक 25/09/2006 से कार्य लेना प्रारम्भ कर दिया गया था।
3. विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर) के लेखा विभाग अभिलेखों के अनुसार श्री सौरभ पाण्डेय को योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 25 सितम्बर, 2006 से सितम्बर 2006, अक्टूबर 2006, नवम्बर 2006 की सेवाओं हेतु नियत वेतन के रूप में (क्रमशः रू0 1000/–, रू0 5000/– एवं रू0 5000/–) कुल रू0 11000/– का भुगतान चेक नं0 075425 दिनांक 26/12/2006 द्वारा किया गया है। तदोपरान्त रू0 5000/– प्रति माह की दर से दिसम्बर 2006, जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007 तक एवं जनवरी 2008 तक नियत वेतन का भुगतान श्री पाण्डेय को किया गया है।
4. श्री सौरभ पाण्डेय द्वारा कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग के स्टाफ अटेण्डेन्स रजिस्टर में दिनांक 25 सितम्बर 2006 से जनवरी 2008 तक अपनी अटेण्डेन्स दर्ज कराई गई है।
5. तदोपरान्त श्री सौरभ पाण्डेय के स्थान पर श्री हरीश गुप्ता की नियुक्ति उक्त पद पर की गई थी जिन्हें विभागाध्यक्ष प्रो0 नरेन्द्र कोहली द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

Scanned by CamScanner

6. प्रकरण में पूर्व निदेशक प्रो0 ए0के0 नागपाल द्वारा भी अपने पत्रांक 35/डी0बी0/शासन/2015 दिनांक 15/05/2015 में श्री सौरभ पाण्डेय को जारी अनुभव पत्र को सही माना गया है।

परिषद् द्वारा मत स्थिर किया गया कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में दायर वाद सं0 24494 आफ 2016 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रो0 खान को निर्णय जारी होने के समय से हटा दिया था। अतः परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनांक 27/04/2017 के पश्चात् प्रो0 खान द्वारा प्रकरण में जो जॉच समिति दिनांक 04/05/2017 को पत्रांक 09/कुलपति सचि0/जॉच/2017 से गठित की गई है को अवैधानिक पाते हुये निरस्त किया जाता है। श्री सौरभ पाण्डेय को जो अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2008 को निर्गत किया गया है, वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही है और किसी अन्य जॉच की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में प्राप्त शिकायतों को तद्नुरूप निक्षेपित किया जाता है। परिषद् ने साथ ही निर्देश दिये कि पूर्व में निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के तथ्यों के आलोक में सही होने की पुष्टि के साथ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान को अवगत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय द्वारा इसके सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति भी जारी की जाय।

(प्रो0 करूणाकर सिंह)
सदस्य–सचिव

(प्रो0 योगेश सिंह)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner